30 दिसंबर 2025 को G.S.R. 935(E) में प्रकाशित सामाजिक सुरक्षा संहिता (केंद्रीय) नियम, 2025 के नियम 34(1)(a) के अनुसार ऐसे कर्मचारी जो संस्था को छोड़ रहे हैं और संहिता (कोड) के अंतर्गत ग्रेच्युटी के भुगतान (पेमेंट) के लिए एलिजिबल (योग्य) हैं तो उन्हें आमतौर पर ग्रेच्युटी देय होने की तिथि से तीस दिनों के अंदर नियोक्ता को फॉर्म - IV में आवेदन करना होगा।

हालाँकि, ऐसे कर्मचारी जिन्हें अपने सुपरएनुएशन (सेवा-निवृत्ति) या रिटायरमेंट की तिथि पता है तो वे अपने सुपरएनुएशन या रिटायरमेंट की तिथि से तीस दिन पहले भी नियोक्ता को आवेदन कर सकते हैं।

क्या आप जानते हैं ?

ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एलिजिबिल हैं, उन्हें ग्रेच्युटी देय होने के तिथि से तीस दिनों के अंदर फॉर्म – IV में आवेदन करना होगा।

Released on 23rd February, 2026

fmsf